न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 176/2020

प्रार्थीगण :

1. भंवरलाल पुत्र हरीराम
2. लूणाराम पुत्र हरीराम
3. सीताराम पुत्र हरीराम

सभी जातियान माली निवासीयान पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. देवाराम पुत्र कुमाराम
2. महेन्द्र पुत्र रूपाराम
3. हनुमानराम पुत्र रूपाराम जाति माली निवासीयान पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
4. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री बक्तावर सिंह जाखड़ प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद फारूख खान सिन्धी अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 28.10.2020

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम खुड़ेचा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जांसुद जमीन खसरा नम्बर 73 रकबा 1.3753 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आयी हुई है । जो राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी के खाता सं. 148 पर प्रार्थीगण के नाम से खातेदार के रूप में दर्ज है । प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 73 में आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है । प्रार्थीगण पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाले वाली मुख्य डामर सड़क से होकर अप्रार्थी सं. एक से तीन की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 71 मे से पश्चिमी सीमा से होकर अपनी जमीन खसरा नम्बर 73 में आते जाते है । पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाली सड़क से प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने वाले रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी, से दर्शाया गया है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्तो के रूप में दर्शाया गया है । पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाली सड़क के उत्तरी तरफ खुड़ेचा सरहद है तथा खुड़ेचा सरहद में सड़क के चिपता अप्रार्थी सं. एक से तीन का खेत खसरा नम्बर 71 है तथा आगे उत्तरी तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरानम्बर 73 है। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 73 व पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाली सड़क में मध्य अप्रार्थी सं. एक से तीन की भूमि खसरानम्बर 71 आया हुआ है । प्रार्थीगण अपनी जमीन में पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाली मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 71 में से पश्चिमी सीमा से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, से होकर आते जाते

उपखण्ड अधिकारी
शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

है जो रास्ता 30 फीट चौड़ाई में विद्यमान है । वादग्रस्त रास्ता मुख्य सड़क से प्रार्थीगण के खेत तक सबसे निकटतम व सुलमतम रास्ता है तथा वादग्रस्त रास्ता के दोनो तरफ पट्टियां के टुकड़े रोपकर तारबन्दी की हुई है । प्रार्थीगण इसी वादग्रस्त रास्ता से होकर अपने खेत खसरानम्बर 73 में काश्त की है । दिनांक 20.7.2020 को अप्रार्थीगण सं. एक से तीन ने वादग्रस्त रास्ता से होकर प्रार्थीगण को अपनी जमीन में आने जाने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी कि वे पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाली सड़क से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 71 में से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी से होकर आने जाने नही देगे तथा रास्ता खुर्द बुर्द कर अवरूद्ध कर देगे इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 73 में आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है तथा खेजड़ला जाने वाली सड़क से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 71 में से पश्चिमी सीमा वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 73 में आते जाते है जो रास्ता सबसे निकटतम व सुलभतम है तथा प्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता 30 फीट चोड़ाई में अपने खेत तक की डीएलसी दर से राशि अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थी सं. एक से तीन मान नही रहे है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त रास्ता से होकर आने जाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण को पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाली सड़क से उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरानम्बर 71 मे से पश्चिमी सीमा से प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 73 तक वादग्रस्त रास्ता मार्क एबीसीडी 30 फीट चौड़ाई में रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन ग्राम खुड़ेचा की सीमा में स्थित होने व प्रार्थीगण को वादग्रस्त रास्ता से होकर अप्रार्थीगण ने आने जाने से साफ इन्कार करने पर प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र रास्ता घोषित करवाने हेतु पेश करना पड़ रहा है जो श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि पीपाड़ शहर से खेजड़ला जाने वाली सड़क से उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 71 में से पश्चिमी सीमा में वादग्ररत रास्ता मार्क एबीसीडी 30 फीट चौड़ाई में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 73 में आने जाने हेतु रास्ता घोषित फरमावे तथा राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. एक की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद फारूख खान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्राथी सं. 2, 3 का सम्मन बाद तामील अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 4

उपखण्ड अधिकारी ... शहर (जोधपुर).

Scanned with CamScanner

तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है । जिनका सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ है । अप्रार्थी सं. एक की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद फारूख ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 73 में आने जाने का कोई कटाणी रास्ता नही है एवं प्रार्थीगण को अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 71 में से पश्चिमी माठ पर रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी दर्शाया गया है । जबकि उपरोक्त पद में प्रार्थीगण ने न्यायालय में वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है । वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी सं. एक का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 224/71 है । जिसकी पूर्वी माठ के सहारे सहारे कटाणी एवं राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज खसरानम्बर 223/71 रास्ते की जमीन है । जिससे होते हुए प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 73 में आते जाते है । इस प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया है । श्रीमान उच्च न्यायालय के आदेश आर.आर.टी. 16 पेज 659 में स्पष्ट है वैकल्पिक मार्ग होते हुए दूसरा रास्ता नही दिया जा सकता है । प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 73 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरानम्बर 224/71 के पूर्वी माठ पर रास्ता विद्यमान है । जो सरकारी रेकर्ड का रास्ता है व तरमीमसुदा है । विधि का प्रतिपादित सिद्धात है कि सुविधा के आधार पर रास्ता नही दिया जा सकता है । आर.आर.डी. 17 पेज 517 में स्पष्ट है कि प्रार्थी ने नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते को ही विकल्प बताया है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 73 में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध होते हुए भी न्यायालय को गुमराह करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है । जबकि विधि का प्रतिपादित सिद्धात है कि सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम नही कर सकते । आर.आर.टी 17 पेज 423 व आर.आर.टी. सपलिमेन्ट्री 16–17 पेज 677 में स्पष्ट है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में जिस स्थान पर मार्क ए बी सी डी दर्शित किया है जबकि अप्रार्थी सं. एक के खातेदारी खेत सं. 224/71 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे राजस्व रेकर्ड में तरमीम सुदा रास्ता खसरानम्बर 223/71 स्थित है । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमावें ।

इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि खसरा नम्बर 73 में आने जाने के लिए रास्ता पीपाड़ शहर से चिरड़ाणी जाने वाली डामर सड़क से उपर की प्रथम खसरा नम्बर 71 में से होकर मिलता है । जो पश्चिम मेठ के सहारे सहारे 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है । जिसके दोनो तरफ तारबन्दी है । जो खसरा नम्बर 73 तक जाता है । डामर सड़क से खसरानम्बर 71 की मेड़ पश्चिम की ओर 66 फुट पर प्रारम्भ होती है जो सीमा चिन्ह (सरहदी सीमा) मौके पर पड़ा है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 71 के पूर्वी के मेड़ पर कोकड़ का मुटाम खड़ा है । जो रोड़ से लगरभग 180 फुट पर स्थित है । अर्थात खसरा नम्बर 71 डामर सड़क

उपखण्ड अधिकारी
शहर (जोधपुर).

Scanned with CamScanner

व बाउन्ड्री के पास उत्तर में आया हुआ है । वांछित रास्ता एबीसीडी 19 X 4.54 गट्ठा = 86.26 वर्गगज = 0.04.05 बीघा है । इसी प्रकार वैकल्पिक रास्ता इएफजीएच इसकी दूरी अधिक एवं इएफ बिन्दु के पास कुआं, होज व चबूतरा है । 52 X 4.54 गट्ठा = 236.08 वर्गगज = 0.11.15 बीघा है । इन दोनो रास्तो में से एबीसीडी रास्ता खसरानम्बर 73 के लिए उपयुक्त एवं रोड़ से नजदीक रास्ता है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटी एक्ट व मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 25.08.2020 बाबत अप्रार्थीगण के आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय सुनी गई,पत्रावली का व उसमें उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का व मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 73 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 71 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क एबीसीडी रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम व नजदीकी रास्ता नहीं है । मौका कमिश्नर ने भी अपनी मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 25.8.2020 में खसरा संख्या 73 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 71 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे बताया रास्ता ही नजदीकी एवं सुलभतम रास्ता है इसके अलावा मौका कमिश्नर रिपोर्ट में बताया गया ईएफजीएच रास्ता अधिक दूरी का एवं ईएफ बिन्दु के पास कुआं, होज व चबुतरा होना बताया है । साथ ही दूरी भी अधिक बतायी गयी है जो सुलभतम एवं निकटतम रास्ता नही है । साथ ही खसरा नम्बर 71 की मेड़ के पश्चिम की ओर 66 फीट की दूरी पर ही डामर सड़क प्रारम्भ होती है । जबकि खसरानम्बर 71 के पूर्वी मेड़ पर जो रोड़ से लगभग 180 फीट पर स्थित है । अतः मौका कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाया वैकल्पिक रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार अप्रार्थीगण के ग्राम खुड़ेचा में स्थित खसरा संख्या 73 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 71 मार्क एबीसीडी 86.26 वर्गगज यानि 0.04.05 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 25.08.2020 मय नजरी नक्शा को निर्णय का अंग समझा जावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त DLC दर अनुसार ग्राम खुड़ेचा में स्थित खसरा संख्या 71 रास्ते के काम आई भूमि 0.04.05 बीघा यानि 0.0344 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर की गणना अनुसार कुल मालियत राशि 3800/– रूपये बनती है । जिसकी दुगुनी राषि नियमानुसार 7600/–रूपये बनती है जो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार जरिये चैक/डीडी द्वारा जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर के भुगतान करे। प्रार्थीगण चैक/डीडी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण के नाम से तैयार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को प्रस्तुत करे व तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर नक्शा में तरमीम कर मौके पर रास्ता दुरुस्त करवा कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर).

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)